न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–279 / 2026

जधुनाथ कुमार उर्फ यदुनाथ कुमार बनाम् बिहार सरकार

देसरी थाना कांड संख्या–379 / 2025

अंतर्गत धारा–303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not official

10-03-2026 देसरी थाना कांड संख्या–379 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–303(2), 317(2) में अभिरक्षाधीन आवेदक **जधुनाथ कुमार उर्फ यदुनाथ कुमार उम्र–26 वर्ष पेसर–शिव प्रसाद राय** साकिन–रूपनारायणपुर करनौती, थाना–महुआ, जिला–वैशाली, जो दिनांक–08.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री रामजतन राय** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–13.10.2025 को समय करीब 09.00 बजे रात्री में सूचक रोज की तरह अपना ट्रैक्टर जागेश्वरी पेट्रोल पम्प, मुरौवतपुर पर लगाकर अपने घर चला गया। सुबह जब 5.00 बजे में सूचक अपना गाड़ी लेने पंप पर आया तो उसका गाड़ी वहां नहीं था। खोजबीन करना शुरू किया मगर कुछ पता नहीं चला। जब पेट्रोल पम्प के कैमरा में चेक किया तो पला चला कि 02.36 बजे सुबह में पेट्रोल पम्प से सूचक का गाड़ी कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। सूचक का ट्रैक्टर उसके भाई सुभाष पासवान के नाम से दर्ज है। सूचक का ट्रैक्टर किसी अज्ञात चोरो के द्वारा चोरी कर लिया गया है। चोरी का पूरा फुटेज पेट्रोल पम्प के कैमरा में है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक दिनांक–08.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में दुश्मनी के कारण फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्व महनार थाना कांड सं0–289 / 2024 अंतर्गत धारा–363, 365 भारतीय दण्ड संहिता, बेगुसराय थाना कांड सं0–94 / 2025 अंतर्गत धारा– 303(2) भारतीय न्याय संहिता एवं पटोरी थाना कांड सं0–42 / 2024 अंतर्गत धारा–414 भारतीय दण्ड संहिता लंबित है जिसमें वह जमानत पर है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–279/2026

जधुनाथ कुमार उर्फ यदुनाथ कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

10.03.2026

है और उसके पास से चोरी का ट्रैक्टर बरामद नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक का नाम इस मामले के सह अभियुक्त राजेश सहनी के बयान पर आया है और राजेश सहनी को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन सं0–173/2026 में पारित आदेश दिनांक–08.02.2026 से जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है और आवेदक का मामला जमानत प्राप्त अभियुक्त के मामला से अच्छे धरातल पर है। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख सहित कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है। कांड दैनिक की कंडिका 41 एवं 43 से विदित होता है कि घटना तिथि व समय पर घटनास्थल पर दो मोबाईल क्रमशः 7366992273 एवं दूसरा मोबाईल नं0–8294913511 उक्त स्थल पर मौजूद था और मोबाईल नं0 7366992273 का धारक राजेश सहनी एवं दूसरा मोबाईल नं0–8294913511 का धारक यदुनाथ कुमार (आवेदक) है। कांड दैनिकी के साथ आवेदक का संस्वीकारोक्ति बयान संलग्न है जिसमें उसने उक्त कांड में अपनी तथा अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता के तथ्य को स्वीकार किया है। कांड दैनिकी की कंडिका 52 से विदित होता है कि सूचक के ट्रैक्टर की बरामदगी हो चुकी है। कांड दैनिकी की कंडिका 73 से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्व आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले के सह अभियुक्त राजेश सहनी को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन सं0–173/2026 में पारित आदेश दिनांक–08.02.2026 से नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों, वाद की परिस्थितियों एवं आवेदक के कारा में निरूद्व अवधि को ध्यान में रखते हुये आवेदक को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक को मो0 10,000/– की समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है

Web Copy Not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–279 / 2026

जधुनाथ कुमार उर्फ यदुनाथ कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

10.03.2026 कि–

1. आवेदक किसी भी प्रकार के ऐसे अपराध में शामिल नहीं होगा और हिरासत से रिहा होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को अपने सदाचरण के संबंध में उपस्थित होकर रिपोर्ट करेगा।

2. आवेदक किसी भी तरह से मुकदमा के निपटारा में देरी नहीं करेगा और आरोप गठन होने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–351 के तहत बयान होने के समय वह शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी आवेदक द्वारा उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित विचारण न्यायालय आवेदक का जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

आवेदक का जमानत स्वीकार करने से पहले विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को भेजे और उन्हें निर्देश दिया जाए कि यदि आवेदक उपरोक्त शर्तों में निर्दिष्ट किसी भी महीने में उनके समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित थानाध्यक्ष विद्वान विचारण न्यायालय को सूचित करें।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy Not Official